न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 269 / 2025 दायर दिनांक: 29.10.2025

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्दसिंह पि. प्रभूलाल जाति मेघवाल नि. डावल तहसील रायपुर
2. बापूलाल पि. प्रभूलाल जाति मेघवाल नि. डावल तहसील रायपुर
3. बीरमलाल पि. प्रभूलाल जाति मेघवाल नि. डावल तहसील रायपुर
4. बालीबाई पत्नि प्रभूलाल जाति मेघवाल जाति मेघवाल नि. डावल तह.रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— पैरोकार सरकार

अभिभाषक अप्राथी सं. 1 से 3 :— स्वयं

अप्राथी सं. 4 :— एकतरफा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

आदेश दिनांक : .12.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम डावल पटवार मण्डन डावल तहसील रायपुर जिला झालावाड़ की आराजी खसरा संख्या 961 / 628 रकबा 0. 0126 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीन जमाबंदी संलग्न है आराजी वर्तमान में प्रतिवादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादीगण के पिता प्रभूलाल पि. गणपतलाल जाति मेघवाल को गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश होने से [illegible] नियमन नामान्तरण संख्या 735 दिनांक 22.06.2007 से खसरा संख्या [illegible] किस्म चारागाह में से प्रतिवादीगण के पिता प्रभूलाल पि. [illegible] जाति [illegible]वाल को गैर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण संलग्न है। यह कि आवंटी की मृत्यु होने पर विरासत नामा.सं. 816 दिनांक 05.09.2009 से प्रतिवादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को उक्त चाह का नियमन सिचाई प्रयोजनार्थ खसरा संख्या 628 किस्म चारागाह से नियमन कर नामांतरण संख्या 735 दिनांक 22.06.2007 द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश की पालना में किया गया था। चूँकि राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ पम्पिंग सेट लगाने एवं कुआं निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम संख्या 7 उपनियम संख्या (1) में यह भूमि पट्टे पर दिए जाने के प्रावधान है न कि गैर खातेदार दर्ज किये जाने के। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम डावल पटवार मण्डल डावल तहसील रायपुर में खाता संख्या 418 की कुल किता 01 रकबा 0.0126 हैक्टेयर आराजी में अप्रार्थी को गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने का आदेश देने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने दिनांक 21.11.2025 को स्वयं उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी में दर्ज गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने एवं लीजरेन्ट जमा करवाने हेतु सहमति देकर इन्ही तथ्यों को बहस मानने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 4 बावजूद सूचाना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 21.11.2025 को अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का डावल की रिपोर्ट, ग्राम डावल की सं. 2080 की खसरा गिरदावरी, ग्राम डावल का नामा.सं. 816 दिनांक 05.09.2009, नामा.सं. 735 दिनांक 05.09.2009, जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 418, जमाबंदी सं. 2061–64 के खाता सं. 348, खसरा नक्शा दिनांक 23.07.2024 पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(५)

किया कि ग्राम डावल के खाता सं. 418 के ख.नं. 961/628 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह अप्रार्थीगण गोविन्द, बापूलाल, बीरमलाल पिस. प्रभूलाल बालीबाई बेवा प्रभूलाल जाति मेघवाल नि. डावल गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थीगणगण को उक्त वादग्रस्त आराजी सिंचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खादने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अधीन सिवायचक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं को नियमितिकरण कर प्रति वर्ष 24/- की लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा 10 वर्षो के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 22.06.2007 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादीगण को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.11.2025 की आदेशिका में गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने एवं लीजरेंट की राशि की जमा करवाने हेतु सहमति प्रदान की है।

6. पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की सहमति बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम डावल के खाता सं. 418 के ख.नं. 961/628 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह अप्रार्थीगण गोविन्द, बापूलाल, बीरमलाल पिस. प्रभूलाल बालीबाई बेवा प्रभूलाल जाति मेघवाल नि. डावल गैर खातेदार में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम डावल के नामा.सं. 735 दिनांक 22.06.2007 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 16 में *" चाह नियमन संलग्न आदेश प्रभूलाल पुत्र गणपतलाल मेघवाल के र.नं. 24 से राशि 621/- राजकोष में जमा करवा दी है। अतः मुताबिक आदेश 0-01 बीघा भूमि चाह के गैर खातेदारी दर्ज करने को नामा. दर्ज कर वास्ते आदेश पेश है"* का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(5)

पिड़ावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 628 किस्म चरागाह में से 0–01 बीघा भूमि पर बने चाह का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 22.06.2007 अनुसार उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा द्वारा चरागाह भूमि ख.नं. 628 रकबा 0–01 बीघा पर अप्रार्थीगण गोविन्द, बापूलाल, बीरमलाल पिरा. प्रभूलाल बालीबाई बेवा प्रभूलाल जाति मेघवाल नि. डावल द्वारा खोदे गये एवं कृषि भूमि की सिंचाई हेतु उपयोग में लिए जा रहे अतिकमित कुएं को 24/– प्रति वर्ष की लीज रेन्ट जमा कराने पर गैरखातेदार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में कुल 621/– राशि रसीद नं. 24 से जमा राज हुई।

7. राजस्थान भू.राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तो पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से – जो भी पहले हो– के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तो के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षो के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षो की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्ते निम्नानुसार है –

Rule 7. Conditions of allotment.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) On payment of premium equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Raj. Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary, after giving an opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form [illegible]/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड [illegible] पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष [illegible] कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज [illegible] के अभाव में ऐसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पेरोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज डीड के और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरूद्ध टाईपिंग त्रुटीवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के आदेश दिनांक 22.06.2007 की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिक्रमी को लीज धारक दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। **धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लिपीकीय/टाईपिग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम डावल तहसील रायपुर की आराजी खसरा नं. 961/628 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम डावल तहसील रायपुर की आराजी खसरा नं. 961/628 रकबा 0.01[illegible] मुमकिन चाह में प्रविष्टि को दुरूस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीज[illegible] दर्ज की जावे। लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

7 के 16 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार संयुक्त प्रकरणानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त करें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
जिला बालोतरा, राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner